लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :...../सम्बद्धता/2018

दिनांक :.....

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

प्रबन्धक,
सत्यानन्द उच्च शिक्षा संस्थान,
ग्राम नीवा, मेमौरा एयरवेस के सामने,
सरोजनी नगर, लखनऊ।

संदर्भ :— विश्वविद्यालय से निर्गत नोटिस संख्या : एएफ 50740—45/सम्ब./2017, दिनांक 08.11.2017
2— संख्या : एएफ 52242—48/ सम्ब./2017, दिनांक 30.11.2017
3— संख्या : एएफ 53246—52/ सम्ब./2017, दिनांक 11.12.2017
4— संख्या : एएफ 3529—35/ सम्ब./2017, दिनांक 02.02.2018
5— संख्या : एएफ 4999—5005/ सम्ब./2018, दिनांक 22.02.2018
6— संख्या : एएफ 6752—56/ सम्ब./2018, दिनांक 17.03.2018

महोदय,

कृपया महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम की पूर्व प्रदत्त अस्थायी सहयुक्तता के क्रम में स्थायी प्राप्त किये जाने विषयक सम्मुख बाक्स में अंकित इस कार्यालय के पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में सूच्य है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम की सहयुक्तता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने एवं 10 मई, तक बी0एड0 पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता के निस्तारण हेतु अन्तिम तिथि पूर्व से निर्धारित है, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 50740—45, दिनांक 08.11.2017 द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या अथवा अस्थायी सहयुक्तता हेतु विस्तारण प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। तत्क्रम में सम्मुख बाक्स में अंकित पत्रों के माध्यम से 05 अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये गये तथा अन्तिम रूप से दिनांक 20.04.2018 तक आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। किन्तु महाविद्यालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप की उपेक्षा की गई और निर्धारित अवधि के अन्दर कोई प्रस्ताव/आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.06.2017 द्वारा निर्णय पारित किये गये हैं कि—"किसी भी महाविद्यालय को तीन वर्ष के अन्तर्गत स्थायी सहयुक्तता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तीन वर्ष के निर्धारित अवधि के अन्दर स्थायी सहयुक्तता प्राप्त न करने पर एक वर्ष का समय अतिरिक्त दिया जायेगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत महाविद्यालय शर्तो को पूरा नहीं कर पाता है एवं स्थायी सहयुक्तता नहीं प्राप्त कर पाता है तो प्रतिवर्ष एक लाख रू0 अर्थदण्ड के साथ तीन वर्ष का समय और प्रदान किया जायेगा, तत्पश्चात विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की सहयुक्तता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।" जिसकी सूचना भी उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से दी जा चुकी है।

अतः निर्धारित अवधि के उपरान्त भी कोई आख्या/प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं कार्य परिषद के उपरोक्त निर्णय दिनांक 19.06.2017 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रदत्त अस्थायी सहयुक्तता (2010—11) स्वतः समाप्त हो गयी है अतएव सत्र 2018—19 में प्रवेश की अनुमति दिया किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है और तद्नुसार सहयुक्तता के अभाव में महाविद्यालय में पूर्व संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र 2018—19 से अग्रिम आदेशों तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भवदीय

(प्रो0 आर0के0 सिंह)
कुलसचिव

संख्या AF 12553-56 दिनांक 15/05/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0वि0।
3. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
4. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित महाविद्यालय को ई—मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाइल।

(प्रो0 आर0के0 सिंह)
कुलसचिव